रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-21/2025/723/22-2-2023-17(19)/2013
लखनऊ : दिनांक: 18 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(छ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व योग दिवस(21 जून, 2022) के अवसर पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू (बन्दी संख्या-14759) पुत्र श्री जफ्फू, निवासी ग्राम-ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा,जनपद-हरदोई हाल पता-मो0-फतेहगंज, थाना-मल्लावां, जनपद-हरदोई, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-239/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 436, 148,364, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 17.08.2000 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 26.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, जिसमें 20 वर्ष की जेल की सजा भोगनी आवश्यक होगी। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 27 वर्ष 04 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 07 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जिसका जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/-(पचास हजार रूपये मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2025/723(1)/22-2-2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित मिशलेनियश ऐप्लीकेशन सं0-2073/2024 अन्तर्गत रिट याचिका(क्रि0) सं0-264/2024 बाबू व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संदर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in